बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

श्री मनोज कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा (सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधेपुरा में पदस्थापन अवधि में वर्ष 1999–2000 में योजना मद से राशि गबन, पदीय कर्त्तव्य निर्वहन में विफलता एवं अन्य कतिपय प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2777 दिनांक 25.06.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के पत्रांक 44 दिनांक 08.02.2014 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच–सह–संचालन पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 2911 दिनांक 03.06.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री चौधरी से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री चौधरी ने अपने पत्रांक 1072 दिनांक 29.07.2014 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया।

3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री चौधरी के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :–

(i) निन्दन।

(ii) देय वेतन से 03 (तीन) वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दण्ड, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा।

4. उपर्युक्त विनिश्चय दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 5148 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 2144 दिनांक 19.10.2016 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रस्तावित दण्ड " निन्दन " वृहत् दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है, फलतः इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त " देय वेतन से 03 (तीन) वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दण्ड, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा " संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

5. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6821 दिनांक 09.11.2016 द्वारा श्री मनोज कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा (सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :–

(i) **निन्दन।**

(ii) **देय वेतन से 03 (तीन) वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दण्ड, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा।**

6. श्री चौधरी द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6821 दिनांक 09.11.2016 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि उनके योगदान की तिथि से लगभग 04 (चार) माह पहले ही काराधीक्षक, श्री जयकिशुन प्रसाद द्वारा अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा को भुगतान कर दिया गया था। निर्धारित कार्य के दो वर्ष में पूर्ण नहीं किये जाने के फलस्वरूप ब्याज दर में 3,24,000/– (तीन लाख चौबीस हजार रूपये) की सरकारी राशि की हुई हानि के संबंध में श्री चौधरी द्वारा स्पष्ट रूप से लगाये गये आरापों को नकारते हुए उल्लेख किया गया है कि उनका इस मामले में दोष नहीं है।

7. श्री चौधरी के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चौधरी का यह कहना कि आवंटन पूर्व अधीक्षक, श्री जय किशुन प्रसाद ने कार्यपालक अभियंता, भवन को उपलब्ध कराया था और इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, गैर जिम्मेदाराना एवं लापरवाही का द्योतक है। वे दूसरे काराधीक्षक को दोषी ठहराकर इस आरोप से बच नहीं सकते है कि उनके द्वारा सौंपे गये आवंटित कार्यों के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री चौधरी के द्वारा कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप योजनाओं के कार्यान्वयन में गड़बड़ी हुई। काराधीक्षक को सौंपा गया कार्य तथा वित्तीय वर्ष 1999–2000 के अंत तक कार्य पूरा करने का जो उत्तरदायित्व उन्हें दिया गया था वह पूरा नहीं हुआ जो उनकी कर्त्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता का द्योतक है। स्पष्ट है कि श्री चौधरी के द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में जिन तथ्यों को अंकित किया गया है, संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में उसे असत्य पाया है। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन सही पाया गया है।

8. **उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मनोज कुमार चौधरी, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा (सम्प्रति उपकारा, वीरपुर) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(राजीव वर्मा)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(क)–25/2012.................................दिनांक–.......................................
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(क)–25/2012......458..........दिनांक–...02-02-2017.........
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्री मनोज कुमार चौधरी, अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर/आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कारा महानिरीक्षक का गोपनीय कोषांग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना शाखा (प्रशाखा–01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2.2.17

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)